न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/303
प्रकरण संख्या 157/22

अनवान

1. श्री यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक निवासी भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— दिनांक :—30.01.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या 1702 में प्रार्थी का नाम कन्हैया पिता नगजीराम खटीक के नाम दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा अपना वास्तविक नाम यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक होना बताया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध होने से प्रार्थी द्वारा अपना नाम कन्हैया के बजाय यशवन्त कुमार खटीक दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके तथ्य इस प्रकार है कि :—

I. पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की जाचं अनुसार प्रार्थी का नाम कन्हैया पुत्र नगजीराम जाति खटीक दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक है। वर्तमान में कन्हैया पुत्र नगजीराम खटीक का वास्तविक व दस्तावेज (आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, मार्कशीट) अनुसार प्रार्थी का नाम यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक है उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति होकर इन नामो का अन्य कोई व्यक्ति भीण्डर मे मौजूद नहीं है। अतः तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में कन्हैया पिता नगजीराम खटीक के बजाय यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:12 IST
Reason: SelfAttested

भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या 1702 में प्रार्थी का नाम कन्हैया पिता नगजीराम खटीक अंकित है जबकि प्रार्थी द्वारा अपना वास्तविक नाम यशवन्त कुमार खटीक होना बताया। प्रार्थी द्वारा अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड मे कन्हैया के बजाय यशवन्त कुमार खटीक दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कन्हैया पुत्र नगजीराम खटीक तथा यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक उक्त दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना बताया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रार्थी का नाम कन्हैया पिता नगजीराम खटीक के बजाय यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अध्यक्ष नगरपालिका भीण्डर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रमाणित किया गया कि कन्हैया का वास्तविक नाम यशवन्त कुमार खटीक है जो की नगजीराम जी के पहले पुत्र है तथा प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से जानना बताया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, बैंक डायरी की प्रति, शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक अंकित है एवं सह खातेदार कंचन पत्नि नगजीराम, नानालाल पुत्र भगवानलाल का सहमती पत्र पेश किया गया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी का वास्तविक नाम यशवन्त कुमार खटीक पिता नगजीराम खटीक है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कन्हैया पिता नगजीराम खटीक होने से प्रार्थी को असुविधा हो रही है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 1702 में प्रार्थी का नाम कन्हैया पुत्र नगजीराम खटीक के बजाय यशवन्त कुमार खटीक पुत्र नगजीराम खटीक संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 30.01.2023 को सुनाया गया